छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 4881 / एफ–1–59 / 31 / एस–2 / 2015, अटल नगर, दिनांक 11 / 11 / 2019

प्रति,

मुख्य अभियंता,
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– **रायगढ़ जिले के विकासखण्ड–सारंगढ़ की साराडीह बैराज के परिक्षेत्र को विकसित एवं सुरक्षित किए जाने बाबत् कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :– 1. प्र.अ. का पत्र क्र.–1157 / बो.प्र. / RAA / 2018 / 1064, रायपुर, दि. 25.01.2019.
2. मु.अ.का पत्र क्र.–3204 / 65 / कार्य / एम / 83 / साराडीह,बिलासपुर,दि.25.05.2019

––00––

राज्य शासन एतद् द्वारा रायगढ़ जिले के विकासखण्ड–सारंगढ़ की साराडीह बैराज के परिक्षेत्र को विकसित एवं सुरक्षित किए जाने बाबत् कार्य हेतु लागत रांशि रु. 578.18 लाख (रुपये पांच करोड़ अट्ठत्तर लाख अट्ठारह हजार) मात्र की सीमा में पूर्ण करने की शर्त पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे ।
3. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।
4. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या–45, लघु सिंचाई निर्माण कार्य, 4702–लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {102}–भू–तल जल, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), (5059) – एनीकट / स्टापडेम निर्माण, #26–वृहद् निर्माण कार्य, 005–बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. वित्त विभाग के जावक क्रमांक–865 / सी.एन.–31–02262 / बजट–2 / वित्त / चार / 2019, दिनांक 24.10.2019 व्दारा सहमति प्रदान की गई है।
6. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
7. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
8. संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

8/11/19

(याकुब खेस्स)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

E:\D.2-WRD 2017\AARAA.199.docx

पृ. क्र. 4882 / एफ–1–59 / 31 / एस–2 / 2015, अटल नगर, दिनांक 11 / 11 / 2019

प्रतिलिपि :–

1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।

6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।

7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।

8 कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)।

9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।

10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर ।

11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.–एम 4–22 अटल नगर।

12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।

13 अधीक्षण अभियंता, केलो परियोजना बांध मण्डल, खरसिया, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)।

14 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग–01, खरसिया, जिला–रायगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15 आदेश फोल्डर।

8/11/19

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

E:\D.2-WRD 2017\AARAA.199.docx